कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 25/2001 दिनांक 13-9-2001 को सायं 4·30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

1- श्री अतुल शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री हेमन्त मुरड़िया, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री पी·सी· बरड़िया, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- डॉ0 आर·पी· शर्मा, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री पी·के· जैन, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री मुकेश मित्तल; सहायक नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) एजेण्डा आईट्मस -

1·1- एजेण्डा सं0 25/2001-1 :- नवजीवन गृ·नि·स· समिति की योजना गोपालपुरा-बी के भूखण्ड सं0 56, 57 व 66 को तकनीकी रूप से अनुमोदित करने बाबत :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1- भूखण्ड सं0 56 व 57 को अनुमोदित किया गया ।

2- प्रश्नगत योजना गोपालपुरा- बी और साथ में लगती हुई रूप प्रथम योजना में उत्तर-दक्षिण की सड़कों को भूखण्ड सं0 66 से 30 फिट चौड़ी रोड़ लिंक देते हुए भूखण्ड सं0 66 के बेच हुए भाग को अनुमोदित किया गया ।

1·2- एजेण्डा सं0 25/2001- 2 :- गुलाब बाडी गृ·नि·स· समिति की योजना महादेव नगर के भूखण्ड सं0 9 के तकनीकी अनुमोदन किये जाने, बाबत :-

उपायुक्त, बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-वि[illegible] लिये गये -

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1- भूखण्ड सं0 11 से 19 के सामने स्थित रोड को 30 फिट ही रखा गया।

2- भूखण्ड सं0 20 को अस्वीकृत किया गया।

3- भूखण्ड सं0 16 से 19 तक में से 6 से 11 फिट काटते हुए मौके पर उपलब्ध 19 फिट से 24 फिट तक चौड़ी रोड को 30 फिट किया जाये।

1•7- एजेण्डा सं0 25/2001- 7 :- तोपखाना देश गृ•नि•स• समिति की योजना नेमीनगर बाबत :-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार-विमर्श किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1- भूखण्ड सं0 110,116 और 115, 111 के बीच की सड़क 25 फिट रखी जाये क्योंकि भूखण्ड सं0 116 का 40`x80` का पट्टा 25 फिट रोड मानते हुए जारी हो चुका है और यह केवल छोटा सा लिंक है।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/कॉपरेटिव/2001/डी- 229.
दिनांक : 27-9-2001.

:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।

2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।

3- निदेशक(आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर।

4- उपायुक्त/ प्राधिकृत अधिकारी/ सहायक नगर नियोजक, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर।

5- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
बीपीसी-II(कॉपरेटिव)

1- भूखण्ड़ सं0 9 और 8 के बीच 40 फिट रोड़ रखी जाये और निम्नांकित भूखण्डों की चौड़ाई उनके सामने अंकित अनुसार रखी जाये -

क्र0सं0	भूखण्ड़ संख्या	चौड़ाई
1-	8	28 फिट
2-	9	36 फिट
3-	10	40 फिट

1·3- एजेण्ड़ा सं0 25/2001- 3 :- भूखण्ड़ सं0 एम- 130, महेश कालोनी बाबत :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श बीपीसी-।। {कापरेटिव} की बैठक सं0 63/2000 दिनांक 24-7-2000 में लिये गये निर्णय को यथावत रखा गया क्योंकि मौके पर पक्की सड़क बनी हुई है एवं प्रश्नगत भूखण्ड़ सं0 एम- 130 की भवन निर्माण की स्वीकृति 1985 की है जो कि लैप्स हो चुकी है ।

1·4- एजेण्ड़ा सं0 25/2001- 4 :- निजी खातेदारी की भूमि पर विकसित आवासीय कालोनी शान्ति निकेतन {हरियाणा कालोनी} के भूखण्ड़ सं0 65 को अनुमोदित किये जाने बाबत :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भूखण्ड़ सं0 65 को अनुमोदित किया गया क्योंकि इसका विक्रय पत्र योजना अनुमोदन से पूर्व का है ।

1·5- एजेण्ड़ा सं0 25/2001- 5 :- निजी खातेदारी की भूमि पर बसी योजना शान्ति निकेतन {हरियाणा कालोनी} के भूखण्ड़ सं0 9 के तकनीकी रूप से अनुमोदन किये जाने बाबत :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भूखण्ड़ सं0 9 को अनुमोदित किया गया क्योंकि इसका विक्रय पत्र योजना अनुमोदन से पूर्व का है ।

1·6- एजेण्ड़ा सं0 25/2001- 6 :- निजी खातेदार की भूमि पर विकसित हरियाणा कालोनी {शान्ति नगर} के तकनीकी रूप से अनुमोदित मानचित्र में संशोधन करने के संबंध में :-